न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,कोलायत
पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार (आर.ए.एस)

मि.न. 52/2018

1.हरदान पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल आबाद चक 3 बी.एम.आर. तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

--- अपीलान्ट

बनाम

1.राधादेवी बेवाह ईशरराम
2.दारमराम
3.जसौदा पुत्र/पुत्रिया ईशरराम जाति मेघवाल
4.मेवाराम निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत
5.मोनिका
6.रूखमा
7.ओमप्रकाश
8.राजस्थान सरकार ।

--- रेस्पोडेन्टगण

वकील प्रार्थी : रणजीतसिंह निर्बाण
स्टेट की और से पैरोकार राज उपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ऐक्ट। निर्णय दिनांक 05/12/2019

जरिये अधिवक्ता रणजीतसिह निर्बाण के प्रार्थी द्वारा अपील बनाराजगी आदेश /इन्तकाल संख्या 191 दिनांक 27/2/2013 श्रीमान उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत न0 2 मु0 बज्जू चक 3 बी.एम.आर. अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु ऐक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ता 7 के पति व पिता श्री ईशरराम के नाम से वाके चक 3 बी.एम.आर.(बरसलपुर) के मु0न0 189/2 के किला नम्बर 20, 21 व मु0न0 169/58 के किला न0 6, 14 ता 17, 23 ता 25 व मु0न0 169/59 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 व मु0न0 189/3 के किला न0 1, 10, 20,21 कुल तादादी 34.08 बीधा क0/अ0क0 खातेदारी भूमि चली आ रही थी जिसका श्री ईशरराम

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के पिता) के स्वर्गवास के पश्चात आदेश जेर अपील से वेरासतन इन्तकाल दर्ज किया गया जिसमें अपीलान्ट का नाम आईदानराम दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में अपीलान्ट का नाम हरदान है अतः आदेश अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व न्याय होने से निरस्त किये जाने योग्य है।अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अन्दर मियाद प्रस्तुत कि जा रही है जिसके समर्थन में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर विश्वाश करते हुवे अपील अन्दर मियाद शुमार कि गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैज आधार कार्ड व राशनकार्ड का अवलोकन किया गया जिस में अपीलान्ट का नाम आईदानराम के स्थान पर हरदान होना पाया जाता है अतः यह निरविवाद सत्य है कि अपीलान्ट का नाम आईदानराम न होकर हरदान है ।

अतः अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश /इन्तकाल संख्या 191 दिनांक 27/02/2013 उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत न0 2 मु0 बज्जू चक 3 बी.एम.आर.निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार (भू0अ0) बज्जू को रिमाण्ड कि जाती है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनःविधिसमत् आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 5/12/2019 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (भू.अ.) बज्जू को पालनार्थ प्रेषित

(प्रदीपकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2020.02.04 14:03:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: